प्रेसनोट थाना पुवायाँ

जनपद शाहजहाँपुर

दिनांक - 01.04.2026

"थाना पुवायाँ पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर फर्जी पैरामैडिकल कालेज खोलकर छात्रों को फर्जी अंक तालिकाएं देने सम्बन्धी अभियोग में बांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।"

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय,जनपद शाहजहांपुर के निर्देशानुसार, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदया के निर्देशन में व क्षेत्राधिकारी पुंवायाँ के कुशल पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना पुवायाँ के नेतृत्व में चलाये जा रहे अभियान अपराध रोकधाम व गिरफ्तारी वाँछित अभियुक्त के क्रम में थाना पुवायाँ पुलिस को बडी सफतला हासिल हुई ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 13.12.2024 को वादी कमलदीप शुक्ला पुत्र प्रमोद कुमार निवासी पुवायाँ थाना पुवायां जनपद शाहजहाँपुर के प्रार्थना पत्र पर मा0 न्यायालय के आदेश अन्तर्गत धारा 173 (4) बी.एन.एस.एस. के आदेश के क्रम में मु0अ0सं0 862/24 धारा 420 भादवि बावत अभियुक्तगण 1.बी0के0 सिंह उर्फ बालकिशोर सिंह पुत्र रामनारायण उम्र करीब 41 वर्ष 2.संतोष पाठक पुत्र नामालूम उम्र करीब 45 वर्ष 3.श्याम शेरवानी पुत्र नामालूम उम्र करीब 35 वर्ष सर्व निवासीगण सेक्टर 5 ई 25/24 वृंदावन कॉलोनी तेली बाग लखनऊ थाना पी0जी0आई0 लखनऊ जनपद लखनऊ 4.धनन्जय कुमार पुत्र नामालूम उम्र करीब 38 वर्ष निवासी मऊ थाना मऊ,जनपद मऊ 5.रामहरि यादव पुत्र रामकमल यादव उम्र करीब 51 वर्ष निवासी एम पराग रोड विश्वनाथ एकेडमी सेक्टर एम0एल0डी0ए कालोनी लखनऊ,थाना अभियाना सेक्टर एम 1 एम लखनऊ द्वारा वादी के साथ धोखाधडी करके वादी को वी0के0 सिंह पैरामेडिकल एण्ड नर्सिंग कालेज बरेली मोड जनपद शाहजहाँपुर मे मैनेजर के पद पर ज्वाईनिंग कराना व विद्यार्थियो के फर्जी एडमिशन करा लेने के सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत होकर, विवेचना व0उ0नि0 श्री राकेश सिंह द्वारा की जा रही हैं । साक्ष्य संलग्न के आधार पर अभियोग में धारा 467/468/471/120बी भादवि की वृद्धि की गयी तथा अभियुक्त बीके सिंह उर्फ बालकिशोर सिंह ठाकुर पुत्र श्री राम नारायण सिंह उम्र करीब 42 वर्ष निवासी ग्राम रावतपार थाना लार जनपद देवरिया हाल निवासी सेक्टर 5 ई 25/24 वृंदावन कॉलोनी तेली बाग थाना पीजीआई लखनऊ को दिनांक 13.09.2025 को तथा अभियुक्त सन्तोष पाठक पुत्र स्व0 चन्द्रिका पाठक उपरोक्त को दिनांक 26.03.2026 गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका है । दिनांक 31.03.2026 को थाना पुवायाँ पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त श्याम शेरवानी पुत्र उपेन्द्र शर्मा नि0 जबाहर वस्ती चोरस्ता थाना सदर दार्जिलिंग (प0 बंगाल) हाल नि0 फ्लैट नं0 41/8 प्लाट सं0 17 सेक्टर 82 थाना फेस 2 जनपद नोएडा को मुखविर की सूचना से राजीव चौक पुवायाँ से समय 22.40 बजे कारण गिरफ्तारी बताकर हिरासत पुलिस लिया गया । दौराने गिरफ्तारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेश-निर्देशों का पूर्णतः पालन किया गया था। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

- श्याम शेरवानी पुत्र उपेन्द्र शर्मा नि0 जबाहर वस्ती चोरस्ता थाना सदर दार्जिलिंग (प0 बंगाल) हाल नि0 फ्लैट नं0 41/8 प्लाट सं0 17 सेक्टर 82 थाना फेस 2 जनपद नोएडा ।

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

- मु0अ0सं0 862/24 धारा 420, 467/468/471/120बी भादवि थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर

गिरफ्तारी का दिनांक,समय व स्थान का विवरण-

दिनांक 31.03.26 को, समय 22.40 बजे, राजीव चौक थाना पुवायाँ से ।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण-

- व0उ0नि0 श्री राकेश सिंह थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर
- उ0नि0 संजीव कुमार थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर